भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1542
उत्तर दिया जाएगा दिनांक 29 जुलाई, 2025 को

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सुदृढ़ बनाना

1542. श्री नलिन सोरेन:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पीएसीएस को सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के रूप में निगमित करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पीएसीएस की सहभागिता सहित विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम को स्वीकृति दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(**श्री अमित शाह**)

(क) एवं (ख): जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सशक्त बनाने, उनकी आर्थिक व्यवहार्यता, पारदर्शिता एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने हेतु कई परिवर्तनकारी पहलें की हैं। सरकार द्वारा पैक्स को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं–

- **पैक्स हेतु मॉडल उपविधियाँ तैयार की गई हैं**, जिससे पैक्स दुग्ध, मत्स्य, गोदाम निर्माण, खाद्यान्न/उर्वरक/बीज की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, लघु व दीर्घकालीन ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) आदि सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ कर सकती हैं।
- **पैक्स का कम्प्यूटरीकरण**: पैक्स को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । इसका लक्ष्य पैक्स की प्रचालन दक्षता में सुधार लाना, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित करना, लेन-देन लागतों को घटाना, पारदर्शिता बढ़ाना और पैक्स के कार्यों के प्रति किसानों में विश्वसनीयता बढ़ाना है ।

- **नई बहुउद्देश्यीय पैक्स/ दुग्ध/ मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना**: सरकार द्वारा दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुँच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई । इस योजना के अंतर्गत पाँच वर्षों में देश में सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करते हुए भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे, डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY), आदि के अभिसरण से तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है।

- **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना**: सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PMFME), आदि सहित भारत सरकार (GoI) की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं को बनाने की योजना को मंजूरी दी गई । योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चूका है।

- **कॉमन सेवा केंद्र** (**CSCs) के रूप में पैक्स** ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, आदि, जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं । अब तक, 47,918 पैक्स द्वारा CSC के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया गया है, जिनसे ₹96.61 करोड़ के लेनदेन हो चुके हैं।

- **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स** किसानों को एक ही स्थान पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य विभिन्न कृषि निविष्टियां/ सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं ।

- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में पैक्स** ग्रामीण नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं ।

- **पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पात्र बनाना**: सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (CC2) में शामिल करने की अनुमति दे दी है।

- **पैक्स के थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति**: मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है।

- **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** इससे पैक्स को अपने आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने और अपनी आय प्रवाह में विविधीकरण करने का एक विकल्प प्राप्त होता है ।

- **पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) करने के लिए पात्र** बनाया गया है ।

(ग) पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए, सरकार द्वारा 31.05.2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई । योजना के अंतर्गत भारत सरकार (GoI) की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे, कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PMFME), आदि के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल हैं । योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चूका है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत गोदाम के निर्माण के लिए 500 से अधिक पैक्स चिह्नित किए जा चुके है, जिनमें राजस्थान राज्य में 24 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिनका उद्घाटन 17.07.2025 को किया जा चुका है।

******